

egkj'k' V' dh jktfufrd fu.kz i fdz; k ea efgykvka dk I gHkkx

i k-MkV i Hkkdj x- tk/ko
I gk; d i k/; ki d , oa foHkkxk/; {k jkt uhfr foKku
, y ch- , l- dKk/st /kekckn ft- uknM- egkj'k' V

Received:1 June 2016, Revised and Accepted:18 June 2016

ABSTRACT

OBJECTIVES

राजनीति [politics] समाज के प्रबंधन के साथ साथ नीतीनिर्माण एवं नियंत्रण का सर्वोच्च स्तर है। राजनीति में पुरुषों के साथ – साथ महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए। लेकिन वास्तव परिस्थिति भिन्न है। जागतिकीकरण के इस युग में महिला स िक्तिकरण की जागरूकता एवं उसकी क्षमता की पहचान सबसे पहले राजनीतिक सक्रियता [political activism] के माध्यम से अधिक होती है। जैसे सामाजिक ,राजनीतिक, आर्थिक, भौक्षणिक प्र ासकीय, मनोरंजन ,साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों के प्रक्रीयाओं एवं उसके नीतीनिर्माण का अग्रणी सहभाग के परिणाम से ही महिलाओं की राजनीति के साथ सबलीकरण की प्रक्रीया प्रारंभ होती। इसी को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में 2016 साल की स्थिति में महिलाओं की सहभागिता जैसे लोकसभा ,राज्यसभा, विधानसभा, जिला परिषद, पंचायत समिती , ग्रामपंचायते ,नगरपालिका एवं महानगरपालिका में महिला प्रतिनिधित्व के सहभागिता से राजनीतिक सबलीकरण का प्रमाण कैसा है ? इसका वि लेशन प्रस्तुत भाोध प्रपत्र के अध्ययन से करने का प्रयास किया है ?

METHODS

राजनीति में स्त्री अध्ययन का विशय दुर्लक्षित रह चुका है। उसी तरह 20 वीं भाताब्दी तक अध्येता , विद्वान , समाजसेवी , राजनीतिक , कार्यकर्ताओं ने तत्कालिन समाज का अध्ययन किया है। स्त्री मुक्ति आंदोलन, स्त्री िक्षा ,स्त्री सक्रियता अदि विशय को अध्ययन का केंद्रबिंदु मानकर महिलाओं को समाज के सभी क्षेत्रों में स िक्त बनाने के प्रयास का प्रारंभ हुआ। अतएव यह प्रयास एवं महाराष्ट्र की राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व के बारे में निर्वाचण आयोग ने बारबार प्रका ि त किये रिपोर्ट एवं अन्य प्रका ि त संदर्भ का आधार लेकर अध्ययनपध्दती का अवलंब प्रस्तुत भाोधप्रपत्र में करने का प्रयास किया गया है।

RESULTS

प्राथमिक स्त्रोत के आधार पर किये गये अध्ययन से राजनीतिक नीतीनिर्माण में महिलाओं के अग्रणी सहभाग का परिणाम कैसा है। प्रस्तुत भाोधप्रपत्र के अध्ययन से अनुमान तक जाणे का प्रयास किया गया है।

CONCLUSION

प्रस्तुत भाोध प्रपत्र के अध्ययन से ऐसा निदर्श निकलता नि ि चतरूप से गांव से संसद तक के प्रतिनिधित्व में महिलाओंको आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक नीतिनिर्माण में स िक्त किया जा सकता है।

Keyword:महिलाओं का राजनीतिक सहभाग एवं महिला स िक्तिकरण महाराष्ट्र की राजनीति संदर्भ में

INTRODUCTION

वि व की ओर देखा जाए तो एक बात ध्यान में आती है की सभी समाजव्यवस्था में ज्यादातर पुरुष प्रधान संस्कृती का बोलाबाला रह चुका है। मनुस्मृती जैसे महान ग्रंथ में 'यत्रनार्यस्तु पुज्यंते तत्र रमंते देवता ' तो दुसरी ओर 'स्त्री स्वातंत्रय मर्हती' ऐसी विसंगत वकालत कर के स्त्री स्वातंत्रय का असमर्थन किया गया। स्त्रीयों के बारे में समाज की धारणा है की , स्त्री विवेकहीन , भारीरिक्त दुर्बल एवं कोमल होने से सार्वजनिक जवन में उसका अस्तित्व नगण्य है। स्त्री का अस्तित्व चुल एवं मूल इतना ही सीमित है। ऐसी सार्वत्रिक धारणा होने से अधिकार , स्वातंत्रय, सामाजिक , प्रतिशठा एवं नीतिनिर्माण से दुर रहनेवाली एक प्रजनन यंत्र है। इसके अस्तित्व पहचान निर्माण करने के लिए 20वीं सदी के पुर्वार्ध में जनजागृती को प्रारंभ हुआ।

समाज में महिलाओं के साथ साथ समाज सेवक , साहित्यिक , राजनैतिक, प्र ासक,संवाभावी संस्था अदियों के माध्यम से स्त्री स्वातंत्रय , स्त्री मुक्ति का अहसास बढ़ने लगा। पा चात्य दे गों के साथ साथ भारत एवं महाराष्ट्र में महिलाओं की जनजागृती को अधिक बढ़ावा मिलने से स्त्री मुक्ति आंदोलन अधिक प्रखर होणे लगा। इसी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए पा चात्य स्त्रीवादी लेखिका सिमॉन दी बुआ लिखित ' In fctum I Di xfk ' के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले अन्याय , अत्याचार , दुःख वेदना समाज के सामने रखने का प्रयास किया गया। सिमॉन दि बुआ के ग्रंथ से वि व के सभी स्त्री मुक्ति आंदोलन एवं आंदोलक को अधिक प्रेरणा मिली। इसके अलावा वुस्टनक्रफ्ट लिखित ' क्लिडिके िन ऑल दि राईट्स ऑफ दि वुमन ' , वेडी फ्रिउन लिखित ' Oweukbu feflVd ' , जर्मन ग्रिअर लिखित 'fn fQeu ;ud' , केट मिलेट लिखित ' I Di py i kMyfVDI ' अदि स्त्री वादी लेखिकाओंने साहित्य के माध्यम से स्त्री मुक्ति चेतना का प्रसार एवं प्रचार पुरे वि व में किया। इसके परिणाम स्वरूप इस आंदोलन को अधिक प्रेरणा मिलने लगी।

पा चात्य दे गों में भी महिलाओं की ओर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही। ब्रिटेन एवं अमेरिका जैसे प्रगत दे गों में भी महिलाओं को

मताधिकार प्राप्त करने के लिए लगभग सौ साल से भी ज्यादा समय झगडना पडा। अमेरिका जैसे भाक्ति ाली दे गों में पिछले 240 सालों से एक भी महिला को राष्ट्रध्यक्ष पद के लिए चुना नही गया। इससे यह स्पष्ट होता है की विकसीत दे गों में भी महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का अंदाजा ध्यान में आ सकता। अमेरिका के अलावा जर्मनी , र ि ाया , फ्रान्स , चीन , आदि दे गों में भी महिलाओं का राजनीति में सहभाग अत्यल्प रह चुका है। नेपाल , पाकिस्तान , बांग्लादे ा , फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया , फिलिपिन्स, स्वीडनलंड , ब्रिटेन , जर्मनी , स्वीडन , स्पेन,रवांडा, अदि दे गों की राजनीति एवं कार्यपालिका में सहभाग बढ़ाने के लिए नि ि चत रूप में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। भारत में भी महिलाओं को आरक्षण देणे का प्रयास बार बार असफल हो रहा है। भारतीय राजनीति के माध्यम से संसद एवं राज्य विधानमंडलो में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए 33 % आरक्षण की मांग हो रही है।

भारत में भी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सतीप्रथा , बालविवाह, विधवाविवाह , स्त्री स्वातंत्रय , स्त्री िक्षा आदि विशयों को मद्देनजर रखते हुए राजाराम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद , स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा महाराष्ट्र में महात्मा फुले , सावित्रीबाई , दादोबा पांडुरंग , विश्णु ास्त्री पंडीत, भांडारकर, म.गो.रानडे, आगरकर, पंडिता रमाबाई , महर्शि कर्वे , वि.रा.ि िंदे , ताराबाई ि िंदे आदि समाज सुधारकोने आवाज उठाये। ताराबाई ि िंदे जैसी विद्रोही लेखिकाने स्त्री पुरुष तुलना नामक ग्रंथ लिखकर महिलाओं पर होनेवाले अन्याय अत्याचारों का जाहीरनामा प्रसिध्द कर के दुनिया के सामने महिलाओं का वास्तव दिखा दिया। इन सभी समाजसुधारकोने महिलाओं को समाज में न्याय दिलाने के लिए स्त्री मुक्ति आंदोलन का संगठन उभरकर अवाज उठाया। इस माध्यम से महिलाओं को एक साथ लढने के लिए वैचारिक और संगठनात्मक बल बढ़ने लगा।

ऐसे आंदोलन से प्रेरणा लेकर भारत में सरलादेवी जैसे महिलाएँ सामने आकर समाज में 'भारत स्त्री मंडल' , मेहरीबाई टाटा ने 'अखिल भारतीय महिला संघठन' एवं NCWI का संगठन , श्रीमती देरोथी जिनराजदास WIA (वुमन इंडियन असोसिएट) , पंडिता रमाबाई ने 1892 में पुणे में 'भारदा सदन' महिला संगठन

निर्माण कर महिलाओं का आवाज बुलंद किया। ऐसे विभिन्न संगठनों द्वारा सभी क्षेत्रों में स्त्री मुक्ति आंदोलन के विस्तार को बढ़ावा मिला। और महाराष्ट्र सह पुरे भारत में महिलाओं का आवाज बुलंद करने का प्रयास किया गया। गांधीजी के नेतृत्व में चले राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओंकी बड़ी सक्रिय सहभागिता रह चुकी है। नमक सत्याग्रह में ब्रिटीश सरकारने 30 हजार भारतीय नागरिकों को बंदी बनाया। एसमें करीब करीब 17 हजार महिलाओं को समावे। इसे यह ज्ञात होता है की भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान कितना महत्त्वपूर्ण रह चुका है।

Lok Sabha and State Legislatures

साधारण बात ऐसी है की महिला मुक्ति आंदोलन का प्रयास बीसवें शताब्दी के बाद सुधारणावाद से परिवर्तन की ओर रह चुका है। महिलाओं पर होनेवाले अन्याय एवं अत्याचार का निर्मूलन होकर स्त्री पुरुष समानता लाने के लिए महिला सबलीकरण के लिए अधिकारोंका लोकतांत्रिक न्याय वितरण, स्त्रियों की संपूर्ण सुरक्षितता एवं संरक्षण, मानसन्मान, प्रतिष्ठा, स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री शिक्षण और स्त्री मुक्ति प्रबोधन के लिए महिला संगठनोंने उदारवाद, समतावाद एवं साम्यवाद जैसी विचारधाराओं का सहारा लेकर भारत में महिलाओं ने एवं समाज सुधारकों ने स्वातंत्र्योत्तर काल में भी महिला मुक्ति आंदोलन को अधिक उग्र व सतर्क करने का प्रयास किया।

भारत में राजनीतिक दलों के माध्यम से महिलाओं ने राजनीति में सक्रिय होकर महिला आंदोलन का नेतृत्व किया जैसे पंडिता रमाबाई जैसी महिलाने पांच महिलाओं को लेकर संविधान सभा में प्रवेश कर यह दिखा दिया कि महिला भी कुछ कम नहीं। अनुसूचित जातों, तारकें, वरी सिन्हा, कमलादेवी चटोपाध्याय, लक्ष्मी मेनन आदि महिलाओं ने स्वाधीनतापूर्व अनुभव साथ में लेकर भारतीय स्वाधीनता के बाद भी महिला मुक्ति आंदोलन का प्रयास चालू रखा।

जनसंख्या में पुरुषों के साथ बराबर रहनेवाली महिलाओं की स्थिति राजनितिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अत्यल्प रह चुकी है। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू,

सूचेता कृपालानी, ताराबाई साठे, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, विद्यमान राश्ट्रपती प्रतिभा पाटील, मायावती, जयललिता, वसुंधरा राजे सिंधीया, ममता बॅनर्जी, भीला दिक्षित, सुशमा स्वराज आदि महिलाएँ भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। यह सक्रियता अत्यल्प है। भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1950 में सभी को प्रौढ मताधिकार प्रदान कर पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को राजनीति में समान अवसर दिए गए। फिर भी पंचायत राज व्यवस्थाओं में 33% मिलने तक महिलाओं की राजनीति में सक्रियता की प्रक्रिया अत्यंत कमजोर रह चुकी है।

उपरोक्त अध्ययन से ऐसा दिखाई देता है की कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी पचास प्रतिशत है। समाज का एक महत्वपूर्ण अंग महिला होकर भी राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया से दूर है। तभी इस विषय पर सोचकर पिछले पांच दशक में भारतीय संसद, महाराष्ट्र विधानसभा, एवं महाराष्ट्र के स्थानिक स्वराज्य संस्था में महिलाओंकी सहभागिता एवं उनकी सक्रियता की स्थिति किस तरह रह चुकी है। इसका विश्लेषण प्रस्तुत भाष्य प्रपत्र के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है।

Women's Representation in Lok Sabha and State Legislatures

भारत एवं महाराष्ट्र में महिलाओं ने संगठित होकर स्त्री मुक्ति आंदोलन के माध्यम से राजनीति के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, अदि क्षेत्रों में महिलाओं में चेतना एवं जागृती निर्माण करने से सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सहभाग का प्रमाण बढ़ने लगा। तब से समाज के अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण (Woman Empowerment) एवं राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं का सहभाग (participation on political decision making process) जैसे संकल्पना विकसित हुए इसके अलावा महिलाओं को मताधिकार प्राप्त होने से संसद में उनके प्रतिनिधित्व का प्रमाण किस तरह रह चुका है। इसका अनुमान सारणी क्र.1 में दिया गया है।

Table 1

Lok Sabha and State Legislatures

लोकसभा क्र	जुनाव वर्ष	लोकसभा			राज्यसभा		
		कुल संख्या	महिला प्रतिनिधी संख्या	प्रतिशत	कुल संख्या	महिला प्रतिनिधी संख्या	प्रतिशत
पहिली	1952	499	22	4.4	219	16	7.3
दुसरी	1957	500	17	5.4	237	18	7.5
तिसरी	1962	303	34	6.8	238	18	7.5
चौथी	1967	523	31	5.9	240	20	8.3
पाँचवी	1971	521	22	4.2	243	17	7.0
छठी	1977	544	19	3.4	244	25	10.2
सातवी	1980	544	28	5.9	244	24	9.8
आठवी	1984	517	44	8.1	245	28	11.4
नौवी	1989	545	27	5.3	245	24	9.7
दसवी	1991	545	39	7.2	245	38	15.5
ग्यारहवी	1996	545	39	7.2	245	20	9.0
बारहवी	1998	545	43	7.9	245	15	6.1
तेरहवी	1999	545	49	9.0	245	19	7.8
चौदहवी	2004	545	45	8.2	245	28	11.8
पंद्रहवी	2009	545	59	10.8	245	21	8.57
सोलहवी	2014	545	62	12.00	244	29	11.50

Source – 1-2010 statistics on woman in India, published on National Institute of Public co-operation and child Development, New Delhi, page 352.&2- loksabha, Rajyasabha webpage.

उपरोक्त परिदृश्य से ऐसा ध्यान में आता है कि 1952 से 2014 तक लगभग सोलाह लोकसभा के सार्वत्रिक चुनाव हो चुके हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव से आजतक का विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में 50% महिला मतदाता होते हुए भी संसद के दोनो सभागृहों में उनका प्रतिनिधित्व जैसे लोकसभा में 10 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व कभी नहीं रहा। 2014 के चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व 12.00 प्रतिशत तक पहुँच गया। तो दूसरे सभागृह राज्यसभा में भी 1991 साल का 15.5 प्रतिशत प्रमाण छोड़कर आज तक कभी भी 11% से अधिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला ऐसी स्थिति महिलाओंकी संसद में रह चुकी है। दोनो सभागृहों में महिलाओं की सहभागिता प्रमाण तुलनात्मक रूप से देखा गया तो ऐसा लगता है कि राज्यसभा में लोकसभा से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रमाण दिखाई देता है।

संसद के दोनो सदनो में महिलाएँ सहभागिता एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व देखा गया तो पुरुषों के पचास प्रतिशत महिलाओंका अनुपात अत्यल्प है। इसलिए महिलाओं कि सहभागिता बढ़ाने के लिए संसद एवं राज्यों के विधिमंडल में निश्चित रूप से महिला आरक्षण लाना जरूरी है। पिछले पच्चीस साल से महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो रहा है यह दुर्भाग्य की बात है। महिला आरक्षण के

लिए आम आदमी का कोई विरोध नहीं है; विरोध है पुरुषों का महिला आरक्षण के संदर्भ में 'सेक्टर फॉर डेवेलपमेंट स्टडीज', इंडिया टुडे, एवं 'युमैन पालिटिकल वॉच' द्वारा जनमत चाचणी ले गयी उसमें 80 प्रतिशत लोगों ने आरक्षण के लिए समर्थन बताया।

दुर्भाग्य इस बात का है कि राश्ट्र में कुल आबादी में करीब 50 प्रतिशत महिला होते हुए भी राजनीति में उनका प्रमाण नगण्य है। लोकसभा सदन में महाराष्ट्र में से अनुसूचित जातों, प्रेमलताई चव्हाण, प्रमिला दंडवते, रोझा देसाई, सरोज खापर्डे, मृणाल गोरे, के. ए. शिरसागर, जयंती मेहता, तारा सर्र, पुरुषा देवी, प्रभारव, कल्पना नरहिरे, सुर्यकांता पाटील, रूपाताई पाटील, निवेदिता माने आदि महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया। सोलाह लोकसभा (2014) चुनाव में सदन में महाराष्ट्र से प्रितम मुडें, सुप्रिया सुळे, भावना गवली, हीना गावीत, रक्षा खडसे, पूनम महाजन, यह छह सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो राज्यसभा में रजनीताई पाटील, विद्याताई चव्हाण यह दो महिला सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र से 48 सांसद चुने जाते हैं इसमें 3 से 4 महिला पिछले 1999-2004, 2009 तीन चुनाव में चुने गये थे! लेकिन 2014 के चुनाव में यह प्रमाण छह महिला सांसद तक पहुँच गया इस हालात से समझ में आता है की लोकसभा में महाराष्ट्र कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस तरह रह चुका है।

I kj .kh dz 2

Hkkjr ljdkj ds eaheMy eaefgyk ifrfv/kRo 2014

अ.क्र.	मंत्रीपरिषद का प्रारूप	मंत्रीपरिषद की संख्या						प्रति त	
		महिला संख्या		पुरुष संख्या		कुल संख्या		2009	2014
		2009	2014	2009	2014	2009	2014		
1	कॅबिनेट मंत्री	3	6	30	21	33	27	9.09	21.09
2	राज्यमंत्री	5	1	40	37	35	38	11.08	02.50
	कुल	8	7	70	58	68	65	20.17	23.59

Source 1- statistics of women in India , national institute of public co operation and child development
Delhi page no. 343&2- The times off india may 2014

उपरोक्त सारणी में केंद्र की मंत्रीपरिषद कि निर्मिती वर्षों 2009 एवं 2014 का प्रारूप द प्रया गया है। इसी प्रारूप के अनुसार ऐसा दिखाई देता है की महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों के प्रतिनिधित्व के कितना अनुपात है। 2009 साल के मंत्रीपरिषद में महिलाएं मंत्रीयों कि संख्या 8 (कॅबिनेट मंत्री 3 और राज्यमंत्री 5) इतनी थी कुल मंत्रीपरिषद संख्या में 09.09 प्रति त दिखाई देती है। तो 2014 के मंत्रीपरिषद में महिला मंत्रीयों की संख्या 7 (कॅबिनेट मंत्री 06 और राज्यमंत्री 01) इतनी है । जो कि कुल मंत्रीपरिषद के 21.09 प्रति त दिखाई देती है। इससे ऐसा दिखाई देता की , कुल मतदाताओंसे पच्यस प्रति त महिला होते हुये भी राजनितिक निर्णय प्रक्रीया में उनकी सहभागिता का प्रमाण अत्यल्प दिखाई देता है। संसद के दो सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या कुल 2015 नुसार 91 इतनी है, इससे 7 महीलाओं को मंत्रीमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है।

egkj'V-dh jkt ulfr eaefgyk/kh dh l gHkfxrk

महाराष्ट्र की महिलाओं की स्थिति जाणने से पहले हम वि व और भारत के लोकसभा एवं राज्यसभा सदन में महिला सहभागिता का प्रमाण किस तरह रहा है इसपर दृष्टिकोण डाल चुके हैं। भारत में महाराष्ट्र की पहचान एक सामाजिक आंदोलन में अग्रसर रहनेवाला राज्य नामसे की जाती है। भारत में सबसे अधिक महिलाओं में चेतना एवं जनजागृति करणे का काम महाराष्ट्र में ही हो चुका है। भारत स्वाधीनता की 69 साल एवं महाराष्ट्र राज्य निर्मितके 55 साल बाद राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में देखा जाए तो संसद में महाराष्ट्र की ओर स 6 से 8 महिला सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं। अतएव संसद में महाराष्ट्र के 6-8 महिला सांसद प्रतिनिधित्व देखते हुए महाराष्ट्र के विधानमंडल में महिला के प्रतिनिधित्व स्थिती कैसी है ? इसका भाघ निम्नतर सारणी के माध्यम से लेने का प्रयास किया गया है :

I kj .kh dz 3

egkj'V-fo/kkul Hkk eaefgyk l gHkfxrk dk vuq kr 1937 l s 2014 rd

अ.क्र.	जुनाव वर्ष	कुल सदस्य	जुनाव लढने वाले कुल उम्मिदवार	जुनाव लढने वाले महिलाओं की संख्या	जुनाव जितने वाले महिला प्रतिनिधी कि संख्या	प्रति त
1	1937	175			7	4.00
2	1946	175			9	5.14
3	1952	216			15	4.7
4	1957	233			30	12.8
5	1962	264	1161	36	13	5.4
6	1967	270	1242	19	9	3.3
7	1972	270	1197	56	00	00
8	1978	288	1817	51	8	3.5
9	1980	288	1537	47	19	6.9
10	1985	288	2330	83	16	5.5
11	1990	288	3772	144	6	2.7
12	1995	288	4714	247	11	4.1
13	1999	288	2006	86	12	4.4
14	2004	288	2678	157	12	4.4
15	2009	288	3559	211	10	3.8
16	2014	288	4119	276	20	7.2

Source i) election 1937 to 1956 maharashtra woman commission report.&ii) stastical report on General election 1962 to 2014 Legestative Assembly of maharashtra , election commission in India.

उपरोक्त सारणी क 3 से ध्यान में आता है कि 1937 से 2014 के चुनाव तक महिलाओं का राजनिति में क्या अनुपात रहा है। 1960 के पहले महाराष्ट्र राज्य की पहचान मुंबई प्रांत एवं द्विभाषिक राज्य नाम से थी। जो की 1960 के बाद महाराष्ट्र नाम से हो गई। 1937 के चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात चार प्रति त रहा । 1957 तक उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई लेकिन 1957 के चुनाव में अनुपात 13 प्रति त तक बढ़ गया। लेकिन स्वतंत्र महाराष्ट्र निर्माण के बाद से आज तक कभी भी महिलाओं का सात प्रति त से अधिक नहीं हुआ । 1995 के चुनाव में कुल मिलाकर 247 महिला उम्मिदवार चुनाव लढे थे उसमें सिर्फ 11 चुने गए उनका अनुपात 0.5 प्रति त इतना रह चुका है। 2014 के विधानसभा चुणाव में 276 महिला उमेदवार चुणाव में खडे थे। यह संख्या महाराष्ट्र के आज तक के चुणाव में सबसे ज्यादा है। उससे 20 महिला सदस्य निर्वाचित हुये। 1957 के चुणाव के बाद बड़ी संख्या में 2014 के चुणाव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र विधिमंडल का वरिष्ठ सदन विधानपरिषद है। एसमें कुल संख्या 78 है। यह सदन में महिला सदस्य की संख्या सिर्फ 06 इतनी है। विधानपरिषद सदन की महीला सहभागिता का अनुपात विधानसभा सदन के जैसा ही दिखाइ देता है। महाराष्ट्र के विधिमंडल कि जानकारी लेने के बाद महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में महिला मंत्रीयोंके प्रतिनिधित्व सिर्फ 02 इतनाही है।

महाराष्ट्र से लोकसभा , राज्यसभा एवं महाराष्ट्र विधानमंडल में कुल प्रतिनिधित्व की संख्या 433 है। उसमें महिला प्रतिनिधित्व की संख्या 30 इतनी है। राजनिति में नितीनिर्माण में महिला प्रतिनिधित्व का प्रमाण देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक प्रकिया सुचारु रूपसे चलाने के लिए जितना पुरुषों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है । उतना ही महिलाओं का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक संसद एवं घटक राज्य के विधायिका में 10 प्रति त से अधिक अनुपात नहीं है। इसलिए स्थानिक स्वराज्य संस्था तथा पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं का राजनीतिक सहभाग बढ़ाने के लिए 1993 में संविधान में 73 वा एवं 74 वा संविधान सं गोधन (ग्रामीण एवं भाहरी स्तर) विधेयक पारित कर के महिलाओं के 33 प्रति त आरक्षण देकर राजनीति में महिला सबलीकरण को संवैधानिक दर्जा दिया गया । फिर भी परिणाम सफल न होने से 2009 में 110 वा संविधान सं गोधन कर के स्थानिक स्वराज्य संस्था में 50 प्रति त महिलाओं को आरक्षण नि चित किया गया। यही दोनो 33 प्रति त एवं 50 प्रति त महिला आरक्षण विधेयक ये महाराष्ट्र के स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामीण स्तर ग्रामपंचायत , पंचायत समिति एवं जिला परिषद और भहरी स्तर नगर पालिका एवं महानगरपालिका) में कितनी महिला प्रतिनिधित्व कर सकती है इसे निम्न सारणी द्वारा देखा जा सकता है।

I kj .kh dz 4

egkjk' V-dh LFkkfud Lojkt; I LFkk ea efgyk i frfuf/kRo dh I q; k

अ.क्र.	स्थानिक स्वराज्य संस्था	संख्या	कुल सदस्य	महिला प्रतिनिधी संख्या	
				33%	50%
1	ग्रामपंचायत	28813	223887	74620	111444
2	पंचायत समिती	355	3922	1307	1961
3	जिला परिशद	34	1961	654	981
4	नगर परिशद	226	5092	1769	2546
5	महानगरपालिका	26	2118	706	1059
	कुल	29454	236980	79056	117991

Source- i) 33 % आरक्षण नुसार - statistics on women in India report page 352& ii) 50 % आरक्षण से दै. लोकसता मराठी 24 एप्रिल 2011 iii) Report on state election commission in Maharashtra 2004-2009

उपरोक्त सारणी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या 33 प्रति त आरक्षण एवं 50 प्रति त आरक्षण के अनुसार है। इसमें कुल एस.सी , एस.टी,ओबीसी एवं अराखीव वर्ग से 50 प्रति त प्रतिनिधित्व महिलाओं को आरक्षित है। इसी विधेयक से एक महत्वपूर्ण बात सामने आ गयी कि महाराष्ट्र की राजनीति में एवं राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में नि चत रूप से महिला प्रतिनिधित्व का प्रमाण बढ़ने से राजनीति के साथ साथ महिलाओं का भी सबलीकरण हो रहा है। यह बात नि चत रूप से लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी महाराष्ट्र के कुल 34 जिला परिशदो मे से 17 जि.प. अध्यक्ष , 355 ग्रामपंचायत समिती में से 178 सभापती एवं 28813 सरपंचो में से 14407 सरपंच ,226 नगर पालिका में से 113 नगर पालिका के नगराध्यक्ष , 26 महापालिका में से 13 महापालिका के मेयर के पद 50 प्रति त आरक्षण से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कार्यरत है।

वर्तमान महाराष्ट्र की राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व अनुपात से दिखा गया तो स्थानिक स्वराज्य संस्था 33 प्रति त आरक्षण से 79056 महिला प्रतिनिधी एवं 50 प्रति त आरक्षण में 117991 महिला प्रतिनिधी , विधान सभा में 20 महिला विधायक एवं लोकसभा सदन में 06 महिला सांसद राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय है। जब 33 प्रति त आरक्षण विधेयक लोकसभा एवं विधानसभा में पारित हुआ तो महिला प्रतिनिधी की संख्या लोकसभा 543 में से 181 होगी एसमें महाराष्ट्र! से 48 में से 16 इतनी रहेगी। राज्यसभा 245 में से 81 होगी, महाराष्ट्र विधानसभा में 288 में से 95 तो विधानपरिशद में 78 में से 26 होगी। 2011 – 12 से महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव 50% महिला आरक्षण के नियम से चालू है।

अतः ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 द ाक से महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हमे ा महिलाओं का सबलीकरण कर के उनको निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता के साथ स्वाधिनता बढ़ाने की घोशणा कि गई। लेकिन वास्तव में पंचायतराज संख्याओं में महिलाओं को 50 प्रति त आरक्षण देने पर भी राजनीतिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया महिला प्रतिनिधि के नाम से संबंधित पुरुशों द्वारा ही चलायी जा रही है। पंचायत राज व्यवस्था का अपवाद छोडा तो कुल अबादी के अनुपात में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। महिलाएँ समाज का एक महत्वपूर्ण भाग एवं समाज परिवर्तन के मूल अंग होते हुए भी सबलीकरण से अभी भी बहुत दूर है। इसीलिए भारत में राजीव गांधी फाउंडे ान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकन महिला नेता हिलरी क्लिंटन ने कहा कि –“ It is particularly important that women fine their own voice and became participants and decision makers in home in the work place community and nation”

इससे समझ मे आता है कि महिलाओं के राजनीतिक सबलीकरण के लिए नि चत महिला आरक्षण की जरूरत राश्ट्र के लिए कितनी आव यक है। लोकतंत्र एक भासन प्रकार नहीं है, तो एक जीवनपध्दती भी है। इसमें सभी की सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में लेकर पुरुश प्रधान राजनीतिक संस्कृती ने महिलाओं का राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सबलीकरण के लिए सकारात्मक सोच अपनायी गयी तो महिलाओं को राजनितिक निर्णय प्रक्रियामें सहभाग बढ़ाणा मुि कल नहीं है।

I nhlk

- 1.Manjiri Chandra – gender Issue “IPSA 52 th conference mereth 2003
- 2.Statistics on women in India 2010 National institute of public co – operation and child development Delhi
- 3.statistics report on general election legislative assembly of maharashtra election commission in India.
- 4.महाराष्ट्रतील स्त्रीयांचा दर्जा महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अहवाल 1981 – 1995
- 5.भारतीय भासन आणि राजकारण , डॉ. भा.ल.भोळे , विद्या प्रका ान नागपुर
6. भारतीय लोक ाही अपेक्षा आणि वास्तव , डॉ. व्ही.एल.एरंडे निर्मल प्रका ान नांदेड